हरियाणा राज्य

बनाम

जगत पॉल और अन्य

20 जून, 2007

डॉ. अरिजीत पासायत और डी. के. जैन, जे. जे.

दंड संहिता, 1860 धारा 34, 302, 323:

हत्या- हत्या के आरोपियों ने मृतक व उसके भाई पर लाठियों और गंडासियों से हमला किया और उन्हें घायल कर दिया- मृतक ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया-एफ आई आर- चार्जशीट-ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया और सजा सुनाई-एक अभियुक्त को बरी करते हुए उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी में बदलाव करते हुए शेष तीन अभियुक्तगणों को आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 के तहत दोषित किया-अपील पर उच्च न्यायालय ने चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर दोषसिद्धी में बदलाव किया, जिसमें माना कि मृत्यु का कारण हदयघात था और पी.ड. 9 एकमात्र ही चश्मदीद गवाह है, जिसने लाठी गंडासी से मृतक को मारते हुए देखा - हालांकि यह आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 के दोषसिद्धी को धारा 325 में बदलने का आधार नहीं हो

सकता है - प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों के अनुसार ट्रायल कोर्ट द्वारा रेस्पोंडेंट नम्बर 1 के अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण को आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 में सही रूप से दोषसिद्ध किया है क्योंकि घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं थी और उच्च न्यायालय ने उसे सही तरीके से बरी कर दिया-इसलिए रेस्पोंडेंट 1 को छोड़कर शेष आरोपीगण की दोषसिद्धी और सजा को ट्रायल कोर्ट के अनुसार बहाल किया गया।

उस दिन, मृतक के बेटे और एक आरोपी व्यक्ति के बीच सड़क पर एक पुलिया के पास झगड़ा हुआ था। जब मृतक को घटना के बारे में पता चला तो वह अपने भाई पी डब्ल्यू 9 के साथ उस ओर गया। उन्हें देखकर आरोपी भाग गया । बाद में आरोपी लाठियों और गंडासियों से लैस होकर आए और अपने-अपने हथियारों से मृतक के सिर, चेहरे और छाती पर वार किए। मृतक जमीन पर गिर पड़ा। जब पी डब्ल्यू 9 ने उसे बचाने की कोशिश की तो एक आरोपी ने उसके सिर पर उल्टी तरफ से गंडासी का वार कर दिया। पी डब्ल्यू 9 ने अलार्म बजाया। वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी मौके से भाग गये। दोनों घायलों को सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां मृतक ने दम तोड़ दिया। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच की गई।

पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और दोषी ठहराया और उन्हें आईपीसी

की धारा 302 सपठित 34 और धारा 323 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा सुनाई। अभियुक्तगण द्वारा उच्च न्यायालय में अपील की गई। उच्च न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त को बरी करते हुए शेष अभियुक्तगण की दोषसिद्धी में बदलाव करते हुए आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 के तहत दोषसिद्ध किया और सजा को भुगती हुई सजा तक कम किया गया लेकिन धारा 323 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध बरकरार रखी गई। इसलिए, वर्तमान अपील पेश की गई।

अपीलकर्ता - राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी में बदलाव के संबंध में कोई कारण नहीं दिया गया है, जबकि उन्होंने यह पाया कि पी डब्ल्यू 9 ने स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य दी है और चिकित्सकीय साक्ष्य को गलत ढंग से पढ़ने पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि मृत्यु का कारण ''कार्डिएक अरेस्ट'' था। वास्तव में डॉक्टर द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया था कि सिर की चोट और उसकी जटिलताओं के साथ-साथ अन्य चोटें भी मृत्यु का कारण थी।

कोर्ट ने अपील का निपटारा करते हुए

अभिनिर्धारित 1.1 दोषसिद्धी को बदलने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र कारण यह प्रतीत होता है कि डॉक्टर ने मौत का कारण ''कार्डिएक अरेस्ट'' बताया और पी डब्ल्यू 9 एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह ने

कहा था कि सभी आरोपियों ने मृतक पर लाठियों और गंडासी से वार किया था। यह आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 में दोषसिद्धी को बदलने के आधार नहीं हो सकते हैं। (पैरा 5(1078-एफ, जी)

1.2 उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष की दोषसिद्धी आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 के तहत होगी। स्पष्ट रूप से चलने योग्य नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने सही रूप से अभियुक्तगण को धारा 302 सपठित 34 के तहत दोषी ठहराया था। दोषसिद्धी और सजा बहाल रहेगी। जहां तक रेस्पोंडेंट का प्रश्न है उच्च न्यायालय ने उसे बरी करने के कारणों को उल्लेखित किया है। उन्होंने यह माना कि रेस्पोंडेंट नम्बर 1 की घटना में कोई भूमिका नहीं थी और यह कि पिछला झगड़ा शिकायतकर्ता के बेटे और अभियुक्त के सगे भाई के बीच हुआ था, वहीं अभियुक्त और उसके भाई पर हमले का कारण था। रेस्पोंडेंट नम्बर 1 सहअभियुक्तगण से संबंधित नहीं था। उच्च न्यायालय ने पाया कि उसकी कोई दुश्मनी शिकायतकर्ता पक्ष के रूप में नहीं थी। इसलिए अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं पाया जाता है और इसलिए आरोपी रेस्पोंडेंट नम्बर 1 को बरी किये जाने को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। (पैरा 8(1079-जी 1080 ए और बी)

आपराधिक अपीलीय क्षैत्राधिकार- आपराधिक अपील नम्बर 981, 982/2000

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चण्डीगढ़ के क्रिमिनल अपील नम्बर 193-डीबी एण्ड 330 डीबी वर्ष 1995 में निर्णय व आदेश दिनांक 11.01.2000 से।

अपीलकर्ता की ओर से रूपांश पुरोहित, टी वी जॉर्ज और राजीव गॉड

रेस्पोंडेंट की ओर से शालू शर्मा, राजेश शर्मा और सद्भावना इंदीवर

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

डॉ. अरिजीत पसायत, जे.

1-इन अपीलों को चुनौती दी गई है, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा 1- जगत पॉल को बरी करने और बाकी तीन उत्तरदाताओं की दोषसिद्धी को परिवर्तित करने का आदेश दिया गया। दो अपीलों अर्थात् 1995 की आपराधिक अपील संख्या 193 डी बी और 1995 की आपराधिक अपील संख्या 330 डी बी से संबंधित का एक ही निर्णय द्वारा, 1995 की आपराधिक अपील संख्या 193 डी बी में रेस्पोंडेंट जगत पॉल अपीलकर्ता को बरी कर दिया गया। अन्य अपील में तीनों अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 325 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया गया है। तदनुसार आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए इनकी सजा को बदल दिया गया।

2.- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है-

मृतक का बेटा कृष्ण देशी घी लाने के लिए गांव गया था। प्रभु पी डब्ल्यू 9 शिकायतकर्ता मृतक के घर में बैठा हुआ था और वैवाहिक गठबंधन के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रभु की पत्नी सरस्वती ने आकर बताया कि कृष्ण और आरोपी दिलीप चंदों के घर के पास सड़क पर एक पुलिया के पास गर्मा-गर्मी से बाते कर रहे थे और उसने आंशका व्यक्त की कि उनके बीच झगड़ा हो सकता है। मृतक और प्रभु (पी डब्ल्यू 9) उस तरफ चले गये, उन्हें आता देखकर आरोपी दिलीप अपने घर की ओर भाग गया। जब मृतक और प्रभु जगदीश चौकीदार के घर के पास खड़े थे तो चारों आरोपी लाठियों और गंडासियों से लेस होकर आये और ललकारकर कहा कि वह इन्हें सबक सिखा देंगे, इतना कहते हुए चारों आरोपियों ने मृतक के सिर, चेहरे और सीने पर वार किया। चोट लगने पर मृतक जमीन पर गिर गया। प्रभु अपने भाई के पास उसे बचाने के लिए गया। दिलीप ने उसके सिर पर उल्टी तरफ से गंडासी से वार कर दिया। प्रभु ने मदद के लिए शोर मचा दिया। उसका शोर सुनकर जगमाल (पंचायत सदस्य) और महबी उन्हें आरोपियों के हमले से बचाने के लिए मौके पर पहुंचे। चारों आरोपी मौके से भाग गये। ओमप्रकाश द्वारा प्रभु और मृतक को जनरल अस्पताल सिरसा ले जाया गया।

एफआईआर के आधार पर जांच की गई और आरोप पत्र दायर किया गया।

ट्रायल कोर्ट ने पी डब्ल्यू 9 घायल गवाह प्रभु के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए सभी चारों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें धारा 302 सपठित धारा 34 और धारा 323 सपठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सजा सुनाई। आरोपी व्यक्तियों द्वारा पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की गई, जिसने, जैसा कि उपर बताया गया है आरोपी जगत पॉल को बरी करने का निर्देश दिया। अन्य तीन अभियुक्तों के संबंध में दोषसिद्धी को आईपीसी की धारा 325 सपठित 23 में बदल दिया गया और सजा की अवधि को कम कर दिया गया। धारा 323 सपठित 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्धी को बरकरार रखा गया था।

3- अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता - राज्य के विद्धान अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धी को बदलने का कोई कारण नहीं बताया है, जबकि वास्तव में इसने प्रभु पी डब्ल्यू 9 के साक्ष्य को स्पष्ट और ठोस पाया। डॉ. की साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ने पर उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौत का कारण ‘‘कार्डिएक अरेस्ट‘‘ था। वास्तव में डॉ. द्वारा विशेष रूप से यह कहा गया था कि सिर की चोट और उसकी जटिलताओं के साथ अन्य चोटे मृत्यु का कारण थी।

4- रेस्पोंडेंट के विद्धान वकील ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

5- यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दोषसिद्धी को बदलने के लिए उच्च न्यायालय के पास एकमात्र कारण यह था कि डॉ. ने मौत का कारण ''कार्डिएक अरेस्ट'' बताया था और प्रभु एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी ने कहा था कि सभी आरोपियों ने मृतक के शरीर पर लाठियों और गंडासियों से वार किये। हमारे अनुसार यह आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 में दोषसिद्धी को बदलने का आधार नहीं हो सकते।

6- इस समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपी व्यक्तियों का मामला यह था कि अधिकतम अपराध धारा 304 भाग 1 आईपीसी से संबंधित है। जहां तक ''कार्डिएक अरेस्ट'' का प्रश्न है, यह केवल मृत्यु का संकेत या लक्षण है। ट्रायल कोर्ट ने इन पहलुओं पर विस्तार से विचार किया था।

7- इसे इस प्रकार ग्रहण किया गया।

> ''बचाव पक्ष वकील ने आगे कहा कि यदि अपराध बनता है तो वह आईपीसी की धारा 304 भाग 1 के तहत है न कि धारा 302 आईपीसी के तहत। इस संबंध में दिनांक 02.05.1994 के सर्टिफिकेट पर अधिक भरोसा किया गया, जिसमें उपचार के रिकॉर्ड के अनुसार मृत्यु का कारण ''कार्डिएक अरेस्ट'' बताया गया। इसके आधार पर यह आग्रह किया गया कि मृत्यु चोटों के कारण नहीं हुई। इस तर्क में

कोई दम नहीं है क्योंकि ‘‘कार्डिएक अरेस्ट‘‘ केवल मृत्यु का संकेत या लक्षण है। यह जीवन के अंत का प्रतीक है। ‘‘कार्डिएक अरेस्ट‘‘ का कोई भी कारण हो सकता है। चोटों के कारण या अन्य किसी कारण से भी हमारे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है कि शिशपॉल ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया और मृत्यु का कारण उससे लगी चोटें थी। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि उसके बांये फ्रंटो पैरिटल टेम्पोरल रीजन में फ्रेक्चर था। फ्रेक्चर ‘‘वाई‘‘ आकार का था। अलग-अलग तीन टुकड़े मौजूद थे। फ्रेक्चर पीछे में ऑक्सीपीटल सिवनी तक और पूर्वकाल में कक्षा तक फैला हुआ था। इस प्रकार का यह बड़ा मल्टीपल फ्रेक्चर था। यहां तक कि मस्तिष्क का पदार्थ भी क्षतिग्रस्त हुआ था। बांये पार्श्विका क्षेत्र में सीमांत बाह्य हेमाटोमा भी था। महत्वपूर्ण अंग पर इतनी गंभीर चोटें स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि मौत चोटों के कारण हुई, जैसा कि डॉ. सुभाष जुनैजा पी डब्ल्यू 13 ने भी स्पष्ट रूप से कहा था, जिन्होंने पोस्टमार्टम परीक्षण किया था। यह सच है कि कोई धारदार हथियार से चोट नहीं लगी थी। लेकिन जिस बल से सिर पर चोट लगी थी, उससे

आरोपी व्यक्तियों की मंशा और ज्ञान स्पष्ट रूप से पता चलता है। अन्य चोटें सिर, चेहरे और छाती पर भी महत्वपूर्ण अंगों पर थी। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता कि मौत का कारण आरोपियों द्वारा पहुंचायी गई चोटें हैं। इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि शिशपॉल पूरे समय बेहोश रहा और उसकी मृत्यु तक उसे होश नहीं आया, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मृत्यु सीधे तौर पर चोटों का परिणाम थी और मृत्यु का कोई अन्य कारण नहीं था। यह भी आया है कि एक्सरे जांच और शोध परीक्षण में भी दिल स्वस्थ और सामान्य आकार का पाया गया था। इसलिए यह अचानक हार्ट फेल का मामला नहीं था बल्कि कथित ‘‘कार्डिएक अरेस्ट‘‘ चोटों के कारण हुआ था और यही मौत का कारण था।"

8- इसलिए उच्च न्यायालय का निष्कर्ष की दोषसिद्धी आईपीसी की धारा 325 सपठित 34 के तहत होगी। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार्य नहीं है। ट्रायल कॉर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को सही रूप से आईपीसी की धारा 302 सपठित 34 के तहत दोषसिद्ध किया था। दोषसिद्धी और सजा बहाल रहेगी। जहां तक रेस्पोंडेंट जगत पॉल का सवाल है, उच्च न्यायालय ने उसे बरी करने के संबंध में स्पष्ट रूप से कारणों को उल्लेखित किया है। इसमें

कहा गया है कि इस घटना में जगत पॉल की कोई भूमिका नहीं थी। यह भी माना गया कि पहले का झगड़ा शिकायतकर्ता के बेटे ओमप्रकाश और आरोपी के सगे भाई रण उर्फ रणसिंह के बीच हुआ था, जिनके पास मृतक पर हमला करने के कारण थे और प्रभु, जगत पॉल का सह आरोपी व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। उच्च न्यायालय ने पाया कि जहां तक शिकायतकर्ता पक्ष का सवाल है उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। हमें अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं मिलता है और इसलिए आरोपी जगत पॉल को बरी किये जाने को गलत नहीं ठहराया जा सकता है। जहां तक उनका सवाल है अपील खारिज की जाती है।

9- अपीलों का तद्नुसार निपटारा किया जाता है।

एस.के.एस.

अपीले निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र पुरोहित (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।